महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य/क्रय/के.भ./53/2018-19/90047455 दिनांक: 24/03/21

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में बंदियो के राशन सामग्री के साथ निषिद्व सामग्री कारागृह में पाये जाने पर मैसर्स नवदुर्गा एंटरप्राईजेज, जोधपुर, मैसर्स श्री गणपति एंटरप्राइजेज, भदवासियां, जोधपुर एवं मैसर्स दुर्गा एण्ड कम्पनी, जोधपुर के विरूद्व एफ.आई.आर संख्या 112 दिनांक 25.02.2021 पुलिस थाना रातानाडा जोधपुर (पूर्व) में पंजीबद्ध हुई है। राज्य की कारागृहों में निरूद्व बंदियो की भोजन व्यवस्था हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी ई-निविदा क्रमांक 70230 दिनांक 20.02.2020 की निविदा शर्तो के परिशिष्ट 'ब' के बिन्दु संख्या-12 में वर्णित आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि को कारागृह पर किसी अवांछित कार्यवाही मे लिप्त पाये जाने अथवा आपूर्ति सामग्री में प्रतिबंधित वस्तु के पाये जाने पर काली सूची (Black list) में डालने की कार्यवाही अमल मे लाने हेतु अंकित है।

अतः निविदा की शर्तो के उल्लंघन करने पर आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 46(3) व 11(बी) के अंतर्गत मैसर्स नवदुर्गा एंटरप्राईजेज, जोधपुर, मैसर्स श्री गणपती एंटरप्राइजेज, भदवासियां, जोधपुर एवं मैसर्स दुर्गा एण्ड कम्पनी, जोधपुर को कारागार विभाग की निविदाओं मे भाग लेने से तीन वर्ष के लिए विवर्जित (Black list) किया जाता है तथा आरटीपीपी नियम 2013 नियम 76 के अनुसार ईएमडी जब्त की जाती है।

आलोक
(आलोक कुमार वशिष्ठ)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
3. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
4. अधीक्षक, विशिष्ठ केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा।
5. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।
6. अधीक्षक/प्रभारी, समस्त महिला बन्दी सुधारगृह, राजस्थान।
7. मैसर्स नवदुर्गा एंटरप्राईजेज, जोधपुर।
8. मैसर्स श्री गणपती एंटरप्राइजेज, भदवासियां, जोधपुर।
9. मैसर्स दुर्गा एण्ड कम्पनी, जोधपुर।
10. रक्षक पत्रावली।

आलोक
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

O/C 23/3

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य/क्रय/के.भ./53/2018-19/89941-90046 दिनांकः 24/03/21

कार्यालय आदेश

जिला कारागृह, झुन्झुनू के अधीनस्थ उप कारागृह, खेतडी में बंदियो के राशन सामग्री के साथ निषिद्व सामग्री कारागृह में पाये जाने पर मैसर्स महावीर एंटरप्राइजेज, झुंझुनू के प्रतिनिधि (श्री रविन्द्र गुप्ता पुत्र श्री गोविन्द राम गुप्ता) के द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान स्वयं के बयानों में निषिद्ध सामग्री कारागृह में सप्लाई किया जाना स्वीकार किया गया है। राज्य की कारागृहों में निरूद्व बंदियो की भोजन व्यवस्था हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी ई-निविदा क्रमांक 70230 दिनांक 20.02.2020 की निविदा शर्तो के परिशिष्ट 'ब' के बिन्दु संख्या-12 में वर्णित आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि को कारागृह पर किसी अवांछित कार्यवाही मे लिप्त पाये जाने अथवा आपूर्ति सामग्री में प्रतिबंधित वस्तु के पाये जाने पर काली सूची (Black list) में डालने की कार्यवाही अमल मे लाने हेतु अंकित है।

अतः निविदा की शर्तो के उल्लंघन करने पर आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 46(3) व 11(बी) के अंतर्गत मैसर्स महावीर एंटरप्राइजेज, झुंझुनू को कारागार विभाग की निविदाओं मे भाग लेने से तीन वर्ष के लिए विवर्जित (Black list) किया जाता हैं तथा आरटीपीपी नियम 2013 नियम 76 के अनुसार ईएमडी जब्त की जाती हैं।

(आलोक कुमार वशिष्ठ)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
3. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
4. अधीक्षक, विशिष्ठ केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा।
5. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।
6. अधीक्षक/प्रभारी, समस्त महिला बन्दी सुधारगृह, राजस्थान।
7. मैसर्स महावीर एंटरप्राइजेज, झुंझुनू।
8. रक्षक पत्रावली।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य/क्रय/के.भ./53/2018-19/90934-91042 दिनांकः 25/03/21

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय कारागृह अजमेर में बंदियो के राशन सामग्री के साथ निषिद्व सामग्री कारागृह में पाये जाने एवं खाद्यान सामग्री सप्लाई के फर्जी बिल वाउचर तैयार करने पर मैसर्स रामगोपाल भौरीलाल, 59, जौहरी बाजार, जयपुर के विरूद्व माननीय न्यायालय ए.सी.बी. कोर्ट अजमेर में अनुसंधान संख्या 173 (8) लम्बित है राज्य की कारागृहों में निरूद्व बंदियो की भोजन व्यवस्था हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी ई-निविदा क्रमांक 11531 दिनांक 31.05.2019 की निविदा शर्तो के परिशिष्ट 'ब' के बिन्दु संख्या-12 में वर्णित आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि को कारागृह पर किसी अवांछित कार्यवाही मे लिप्त पाये जाने अथवा आपूर्ति सामग्री में प्रतिबंधित वस्तु के पाये जाने पर काली सूची (Black list) में डालने की कार्यवाही अमल मे लाने हेतु अंकित है।

अतः निविदा की शर्तो के उल्लंघन करने पर आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 46(3) व 11(बी) के अंतर्गत मैसर्स रामगोपाल भौरीलाल, 59, जौहरी बाजार, जयपुर को कारागार विभाग की निविदाओं मे भाग लेने से तीन वर्ष के लिए विवर्जित (Black list) किया जाता है तथा आरटीपीपी नियम 2013 नियम 76 के अनुसार ईएमडी जब्त की जाती है।

(आलोक कुमार वशिष्ठ)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
3. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
4. अधीक्षक, विशिष्ठ केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा।
5. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।
6. अधीक्षक/प्रभारी, समस्त महिला बन्दी सुधारगृह, राजस्थान।
7. मैसर्स रामगोपाल भौरीलाल, 59, जौहरी बाजार, जयपुर ।
8. रक्षक पत्रावली।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर